समन्दर पुत्र दालाराम वगैरह

प्रा० पत्र 212 रनवा०

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5 आज पत्रावली वादिनी के प्रा० पत्र पर मूल दावा के साथ कार्यालय से प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष के अतिरिक्त उपस्थित वादिनी के प्रार्थना-पत्र राजीनामा हो जाने के कारण दावा खारिज किया जाता है। अब इस पत्रावली में अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः दि० 24.8.13 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	

उपजिला अधिकारी
नगर (सवाई माधोपुर राज०)

नि० अ० समन्दर

वकील प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.04.12 12:53:54 IST
Reason: SelfAttested